न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर , केम्प- सागर म0प्र0

R 862- I-17

1. ओमप्रकाश तनय श्रीराम यादव,

2. बलराम तनय श्रीराम यादव,

दोनों निवासी- ग्राम पहाड़ी तिलवारन,

तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0 ...... आवेदकगण.

// बनाम //

महिला प्रानकुंवर पत्नि श्रीराम यादव

निवासी- मोंगार, तहसील महरौनी,

जिला- ललितपुर उ0प्र0 ...... अनावेदिका.

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

यह निगरानी, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ म0प्र0 के प्र0 क्र0- 78/बी-121/2012-13 पक्षकार-राजू यादव-वि.-महिला प्रानकुंवर वगैरा, में पारित आदेश दिनांक- 05.04.16 से परिवेदित होकर निम्न तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत है :-

§§ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य §§

1. यह कि, आवेदकगण ने अनावेदिका प्रानकुंवर से मौजा ग्राम पहाड़ी तिलवारन स्थित भूमि खसरा नंबर- 53/7 रकबा 1.246 हे0रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक- 26.4.2011 के माध्यम से क्रय की थी, रजिस्टर्ड विक्रयपत्र एनेक्जर-1 है । अनावेदिका के भाई घसीटा को उक्त वादग्रस्त भूमि 1964 में प्राप्त हुई थी जिसका खसरा पांचसाला एनेक्जर-2 है । घसीटा, अनावेदिका मानकुंवर का भाई है उसने दिनांक- 25.6.2010 को अपनी बहिन मानकुंवर के नाम से रजि. विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूमि विक्रय की थी ,जिसका

ओमप्रकाश

बलराम यादव

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–862–एक/2017 जिला–टीकमगढ़

ओमप्रकाश व अन्य विरूद्ध महिला प्रानकुंवर यादव

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 78/बी–121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 05–04–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04–11–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	